कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना

क्रं./जन स्वा. वि./207/2024 भिलाई, दिनांक 24/6/2024

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन हेतु राज्य प्रवर्तित "स्वच्छता श्रृंगार योजना" के अंतर्गत संचालित किये जा रहे हैं, पूर्व में कार्यरत स्व सहायता समूह/एन.जी.ओ. के कार्य संतोषजनक नहीं होने एवं नियम शर्तो का उल्लंघन करने के कारण कुल 111 सामुदायिक शौचालय के लिये शासन से प्राप्त दिशा– निर्देश अनुसार जोनवार स्थित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव एवं संचालन हेतु पृथक–पृथक जोन के लिए स्व सहायता समूह, एनजीओ को इनपैनलमेंट (सूचीबद्ध) किये जाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 15.07.2024 को आमंत्रित की जाती है। संबंधित फर्म / एन.जी.ओ. द्वारा ऑफर मूल्य की राशि 1000.00 रु. की डी.डी. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर जमा कर दिनांक 08.07.2024 को समय 5:30 बजे तक ऑन लाईन नियम शर्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 15.07.2024 को सायं 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोष्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त ऑफर लिफाफा दिनांक 16.07.2024 को समय 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा www.uad.cg.gov.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

नियम शर्त

सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव एवं संचालन हेतु राज्य प्रवर्तित "स्वच्छता श्रृंगार योजना" के दिशा–निर्देश एवं नियम शर्ते :–

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ स्वच्छता श्रृंगार योजना के दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है।

   एनजीओं /स्व सहायता समूह के लिए पात्रता –
2. एनजीओ का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा एवं नियमावली संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। तथा एनजीओ को इस आशय का शपथ पत्र, पेन कार्ड, प्रस्तुत करेगा कि उसे (संस्था को) किसी भी शासकीय संस्था में दिवालिया, काली सूची में नहीं लिया गया है।
3. एक साल की सी.ए. द्वारा/सत्यापित आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
4. एनजीओ के चयन हेतु शासन द्वारा समय–समय पर जारी नियम शर्तो के अनुरुप चयन किया जावेगा।
5. स्व सहायता समूह के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का पंजीयन प्रमाण पत्र/छत्तीसगढ़ शासन सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र एवं समूह अथवा समूह के सचिव/कोषाध्यक्ष का पेन कार्ड होना अनिवार्य होगा तथा स्व सहायता समूह के सदस्यों की सूची संलग्न करना होगा। स्व सहायता समूह को किसी शासकीय संस्था में दिवालिया, काली सूची में नहीं लिया गया है उक्त संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव एवं संचालन हेतु जोनवार पृथक–पृथक शौचालय के लिए पात्र एनजीओ/स्व सहायता समूह को कार्य आबंटित किया जायेगा।
7. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई